न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
सत्र वाद संख्या– 1658/2023
सरकार बनाम रितिक आदि।

दिनांकः– 25.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त पुनीत की हाजिरी माफी, केवल आज के लिए स्वीकृत। शेष अभियुक्त उपस्थित। वादी मुकदमा भगत सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.08.2026 वास्ते उन्मोचित कराने शेष गवाहान इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि "उपरोक्त वाद में आज की तारीख शेष साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत है। अभियोजन की ओर से 6 गवाह माननीय न्यायालय के समक्ष परिक्षित कराये गये है तथा शेष गवाह कैलाश पुत्र विजयपाल, हरीश पुत्र योगराज, रामपाल पुत्र वासुदेव, मूल सिंह उर्फ मूलचन्द पुत्र बुद्वा सिंह, मुनेश पुत्र पीतम, प्रेमपाल पुत्र रामसिंह, सुरेन्द्र पुत्र जगवीर सिंह, दामोदर पुत्र जगवीर सिंह को वादी परिक्षित नहीं कराना चाहता है, क्योंकि प्रार्थी को अन्देशा है कि उक्त गवाहान अभियुक्तगण से साज कर गये हैं तथा अभियुक्तगण के साज करने के कारण अभियोजन के हित में निष्पक्ष रूप से गवाही देने में अक्षम है तथा अभियुक्तगण पक्ष से साज करने के कारण अभियुक्तगण के हित में गवाही देने की प्रबल सम्भावना है। ऐसी स्थिति में वादी शेष साक्षीगण तथ्य के गवाहों को परिक्षित करना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में कथित गवाहों को गवाही से उन्मोचित कराया जाना प्रार्थनीय है।"

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा आरोप पत्र की गवाहान सूची में वर्णित अभियोजन साक्षीगण शेष गवाह कैलाश पुत्र विजयपाल, हरीश पुत्र योगराज, रामपाल पुत्र वासुदेव, मूल सिंह उर्फ मूलचन्द पुत्र बुद्वा सिंह, मुनेश पुत्र पीतम, प्रेमपाल पुत्र रामसिंह, सुरेन्द्र पुत्र जगवीर सिंह, दामोदर पुत्र जगवीर सिंह को उन्मोचित कराना चाहता है। प्रत्येक मुकदमे में अभियोजन पक्ष को ही अपना पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है तथा स्वयं वादी मुकदमा उपरोक्त शेष गवाहान को बतौर अभियोजन साक्षी परीक्षित कराना नहीं चाहता है तथा उपरोक्त शेष गवाहान को इसी स्तर पर उन्मोचित कराना चाहता है। तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.08.2026 वास्ते उन्मोचित कराने शेष गवाहान स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.08.2026 वास्ते उन्मोचित कराने शेष गवाहान स्वीकार किया जाता है। अभियोजन साक्षीगण कैलाश पुत्र विजयपाल, हरीश पुत्र योगराज, रामपाल पुत्र वासुदेव, मूल सिंह उर्फ मूलचन्द पुत्र बुद्वा सिंह, मुनेश पुत्र पीतम, प्रेमपाल पुत्र रामसिंह, सुरेन्द्र पुत्र जगवीर सिंह, दामोदर पुत्र जगवीर सिंह को उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 10.09.2026 को पेश हो।

दिनांकः– 25.08.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम,
हापुड़।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.08.27 11:22:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court